

139

## माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका प्रार्थी की ओर से

PBR/निगरानी/धार/भू.श/2018/1950

सब्लसिंह पिता नाहरसिंहजी जाति राजपुत

निवासी ग्राम पान्दा तह. बदनावर जिला धार

:—प्रार्थी

विरुद्ध

1. नरेन्द्रसिंह पिता डोंगरसिंहजी जाति राजपुत  
निवासी इंदौर जिला इंदौर
2. जितेन्द्रसिंह पिता डोंगरसिंहजी जाति राजपुत  
निवासी इंदौर जिला इंदौर
3. अजीतसिंह पिता सुमेरसिंहजी जाति राजपुत
4. महेन्द्रसिंह पिता बृजराजसिंहजी जाति राजपुत
5. विमल कुंवर विधवा स्व. सुरेन्द्रसिंहजी जाति राजपुत
6. योगेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंहजी जाति राजपुत
7. सीमाकुंवर पिता सुरेन्द्रसिंहजी जाति राजपुत
8. भगवानसिंह पिता खुशालसिंहजी जाति राजपुत
9. गेंदाकुंवर विधवा स्व. नाहरसिंहजी जाति राजपुत  
विपक्षी क. 1व2 निवासी 12 राजस्व कालोनी छत्रीबाग इंदौर  
एवं शेष निवासीयान ग्राम पान्दा तह. बदनावर जिला धार :—विपक्षीगण

व.म.देवेंद्र 21.3.18  
11.4.18

21.3.18

di  
21/3/18

## पुनरीक्षण धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत

माननीय महोदय,



यह पुनरीक्षण अधिनस्थ विद्वान न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र बदनावर के अपील प्रकरण क. 40/2016-17 मे दिनांक 23. 02.2018 को दिये गए आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण अंदर अवधि पेश है।

पुनरीक्षण आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/1950 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी तथा अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता व ओ.पी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनीज गोयल) अध्यक्ष</p>	